राजस्थान सरकार
कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।

कमांकः प4(IV)/कृ.यंत्र/राखासुमि/2016–17/ 2518-2671 दिनांकः 14-9-2016

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् .... ।

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर्स/सीड स्टोरेज बिन्स के अनुदान पर वितरण के दिशा–निर्देश तथा जिलेवार भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के आवंटन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत लोकल इनिशियेटिव कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से अनुमोदित कार्य योजना एवं प्रावधान के अनुसार समस्त जिलों में कृषकों को अनुदान पर उच्च गुणवत्ता के मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर कम प्लास्टिक शीट (भारत सरकार से अनुमोदित **IS: 14611, 1998, एवं IS: 7903, 2011** मार्का) के तैयार त्रिपाल साईज 8X6 वर्गमीटर के तथा सीड स्टोरेज बिन्स उपलब्ध कराने हेतु जिलेवार भौतिक/वित्तीय लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं। कार्यकम का कियान्वयन जिलों में स्थापित जी.एस.एस./के.वी.एस.एस. संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु सामान्य दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. न्यूनतम 3 क्विंटल क्षमता की सीड स्टोरेज बिन्स पर ही अनुदान देय होगा।
2. सीड स्टोरेज बिन्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 22 या 24 गेज की न्यूनतम 18 किलोग्राम वजन वाली सीड स्टोरेज बिन्स को ही अनुदान हेतु पंजीकृत किया जावे।
3. भारत सरकार के अनुमोदित आई.एस.आई. मार्का के अनुसार मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट्स के स्पेसिफिकेशन निम्नानुसार हैः–

आई.एस.आई. नम्बर	स्पेसिफिकेशन
14611 : 1998	Multilayered, Cross laminated, U.V. Stabilized Tarpaulins Heavy Duty minimum 150 GSM. Size- 8X6 Meter
7903 : 2011	Tarpaulins made from HDPE Woven Fabric, both sides laminated heavy duty minimum 250 GSM. Size-8X6 Meter

4. कृषक स्वयं की रूचि अनुसार किसी भी पंजीकृत फर्म की मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट/सीड स्टोरेज बिन्स लागत राशि में से निर्धारित अनुदान राशि कम करते हुये शेष राशि सम्बन्धित जी.एस.एस./के.वी.एस.एस. में जमा करा कर प्राप्त कर सकेंगे। जी.एस.एस./के.वी.एस.एस. को प्रति शीट/प्रति स्टोरेज बिन 50/– रू. हैण्डिलिंग चार्ज देय होगा, जोकि आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। लाभान्वित कृषकों की सूची, बिलों एवं अनुदान हेतु नियमानुसार आवश्यक दस्तावेजों को संबंधित जिला कार्यालयों में प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान संबंधित जी.एस.एस./के.वी.एस.एस. को किया जायेगा। जी.एस.एस./के.वी.एस.एस. द्वारा संबंधित फर्मो को सप्लाई की गई मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट्स/सीड स्टोरेज बिन्स का पूरा भुगतान करना होगा।
5. जिला कार्यालय स्तर पर आवश्यक समझे जाने पर आपूर्ति की गई मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट्स/सीड स्टोरेज बिन्स के रेण्डम सेम्पल लिये जाकर टेस्टिंग करवाई जा सकेगी। किसी भी पंजीकृत निर्माता फर्म द्वारा विभागीय मापदण्डों का उल्लंघन किये जाने पर अथवा कृषकों को निम्न गुणवत्ता के मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट्स/सीड स्टोरेज बिन्स की आपूर्ति किये जाने पर सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

6. कृषकों को पहले **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर ही मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट्स / सीड स्टोरेज बिन्स पर अनुदान का लाभ दिया जायेगा।

फसल कटाई उपरान्त फसल को सुरक्षित रखने के लिए मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर शीट्स / सीड स्टोरेज बिन्स के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए आवंटित लक्ष्यों को अतिशीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जावे। कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं लक्ष्यों की प्राप्ति कृषि आयुक्तालय से वर्ष 2016–17 के लिए जारी सामान्य दिशानिर्देश पत्रांक प4(IV) / यंत्र / 2016–17 / 292–512 दिनांक 03.05.2016 के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः– जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक,कृषि

क्रमांकः प4(IV) / कृ.यंत्र / राखासुमि / 2016–17 / 2518-2671 दिनांकः 14-9-2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि शष्य (ज0उ0प्र0) मुख्यालय, जयपुर को उनके यू. ओ. नोट क्रमांक 2440–46 दिनांक 09.05.2016 के क्रम में।
3. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
4. समस्त खंडीय संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार / तिलहन).......................................।
5. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार / ईगानप, बीकानेर), जिला परिषद् ....।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...।
8. सहा0 जनसम्पर्क अधिकारी / प्रभारी, किसान कॉल सेन्टर, मुख्यालय, जयपुर।
9. आरक्षी पत्रावली।

(के. एन. खण्डेलवाल)
उप निदेशक, कृषि (अभि0)

Component & District-Wise Physical and Financial Targets under NFSM - Pulses (under local intiaitive Programme) for the year 2016-17

Rs.(Lacs)

S.N.	Name of District	Seed Storage Bins								Movable Threshing Floors								Grand Total	
		Target						Total Target		Target						Total Target		Target	
		Phy.			Fin.					Phy.			Fin.						
		GEN	SC	ST	GEN	SC	ST	Phy.	Fin.	GEN	SC	ST	GEN	SC	ST	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Ajmer	1650	430	330	16.50	4.30	3.30	2410	24.10	1650	430	340	24.750	6.45	5.100	2420	36.300	4830	60.40
2	Alwar	2632	690	530	26.32	6.90	5.30	3852	38.52	2630	690	540	39.450	10.35	8.100	3860	57.900	7712	96.42
3	Banswara	1775	100	330	17.75	1.00	3.30	2205	22.05	1550	410	320	23.250	6.15	4.800	2280	34.200	4485	56.25
4	Baran	1056	280	220	10.56	2.80	2.20	1556	15.56	1060	280	220	15.900	4.20	3.300	1560	23.400	3116	38.96
5	Barmer	1813	480	370	18.13	4.80	3.70	2663	26.63	1820	480	370	27.300	7.20	5.550	2670	40.050	5333	66.68
6	Bharatpur	1741	450	350	17.41	4.50	3.50	2541	25.41	1730	460	360	25.950	6.90	5.400	2550	38.250	5091	63.66
7	Bhilwara	2075	550	420	20.75	5.50	4.20	3045	30.45	2080	550	430	31.200	8.25	6.450	3060	45.900	6105	76.35
8	Bikaner	1439	390	300	14.39	3.90	3.00	2129	21.29	1450	380	300	21.750	5.70	4.500	2130	31.950	4259	53.24
9	Bundi	983	260	200	9.83	2.60	2.00	1443	14.43	990	260	200	14.850	3.90	3.000	1450	21.750	2893	36.18
10	Chittorgarh	1377	360	280	13.77	3.60	2.80	2017	20.17	1380	360	280	20.700	5.40	4.200	2020	30.300	4037	50.47
11	Churu	1403	360	280	14.03	3.60	2.80	2043	20.43	1400	370	280	21.000	5.55	4.200	2050	30.750	4093	51.18
12	Dausa	826	220	220	8.26	2.20	2.20	1266	12.66	880	220	170	13.200	3.30	2.550	1270	19.050	2536	31.71
13	Dholpur	810	200	170	8.10	2.00	1.70	1180	11.80	800	210	170	12.000	3.15	2.550	1180	17.700	2360	29.50
14	Dungarpur	933	200	550	9.33	2.00	5.50	1683	16.83	1160	300	230	17.400	4.50	3.450	1690	25.350	3373	42.18
15	Ganganagar	1011	647	50	10.11	6.47	0.50	1708	17.08	880	350	150	13.200	5.25	2.250	1380	20.700	3088	37.78
16	H. Garh	1150	300	230	11.50	3.00	2.30	1680	16.80	1160	300	230	17.400	4.50	3.450	1690	25.350	3370	42.15
17	Jaipur	2353	560	220	23.53	5.60	2.20	3133	31.33	2140	560	440	32.100	8.40	6.600	3140	47.100	6273	78.43
18	Jaisalmer	644	170	130	6.44	1.70	1.30	944	9.44	650	170	130	9.750	2.55	1.950	950	14.250	1894	23.69
19	Jalore	1050	280	210	10.50	2.80	2.10	1540	15.40	1060	270	210	15.900	4.05	3.150	1540	23.100	3080	38.50
20	Jhalawar	1197	310	250	11.97	3.10	2.50	1757	17.57	1200	310	250	18.000	4.65	3.750	1760	26.400	3517	43.97
21	Jhunjhunu	1658	430	330	16.58	4.30	3.30	2418	24.18	1650	430	340	24.750	6.45	5.100	2420	36.300	4838	60.48
22	Jodhpur	1618	430	330	16.18	4.30	3.30	2378	23.78	1620	430	330	24.300	6.45	4.950	2380	35.700	4758	59.48
23	Karauli	974	250	190	9.74	2.50	1.90	1414	14.14	970	250	200	14.550	3.75	3.000	1420	21.300	2834	35.44
24	Kota	727	190	140	7.27	1.90	1.40	1057	10.57	720	190	240	10.800	2.85	3.600	1150	17.250	2207	27.82
25	Nagaur	2000	743	450	20.00	7.43	4.50	3193	31.93	2180	580	440	32.700	8.70	6.600	3200	48.000	6393	79.93
26	Pali	1393	360	280	13.93	3.60	2.80	2033	20.33	1400	360	280	21.000	5.40	4.200	2040	30.600	4073	50.93
27	Pratapgarh	815	220	200	8.15	2.20	2.00	1235	12.35	840	220	180	12.600	3.30	2.700	1240	18.600	2475	30.95
28	Rajsamand	937	240	190	9.37	2.40	1.90	1367	13.67	940	240	190	14.100	3.60	2.850	1370	20.550	2737	34.22
29	S.Madhopur	1066	280	200	10.66	2.80	2.00	1546	15.46	1070	280	220	16.050	4.20	3.300	1570	23.550	3116	39.01
30	Sikar	1961	520	400	19.61	5.20	4.00	2881	28.81	1970	520	400	29.550	7.80	6.000	2890	43.350	5771	72.16
31	Sirohi	507	130	100	5.07	1.30	1.00	737	7.37	510	130	100	7.650	1.95	1.500	740	11.100	1477	18.47
32	Tonk	1172	300	360	11.72	3.00	3.60	1832	18.32	1250	330	260	18.750	4.95	3.900	1840	27.600	3672	45.92
33	Udaipur	2100	550	430	21.00	5.50	4.30	3080	30.80	2090	560	440	31.350	8.40	6.600	3090	46.350	6170	77.15
	Total	44846	11880	9240	448.46	118.80	92.40	65966	659.66	44880	11880	9240	673.200	178.20	138.600	66000	990.000	131966	1649.66

Note :- 17.83% for SC & 13.48% for ST farmers should be strictly achieved from the total allocation. At least 30% allocation of the fund is to be utilised for women farmers.

K. N. Khandelwal
Dy. Dir. (Engg.)